सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 514 राँची ,सोमवार

21 आश्विन 1936 (श०)

13 अक्टूबर, 2014 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

10 अक्टूबर, 2014

विषयः- राज्य सरकार के कर्मियों को स्वीकृत किये जाने वाले मोटर कार अग्रिम राशि की अधिसीमा में अभिवृद्धि के संबंध में।

संख्या-4/वि0विविध-02/2013/1114-वि०अ०--राज्य सरकार के कर्मियों को पूरे सेवा काल में दो बार मोटर कार अग्रिम स्वीकृत किये जाने का प्रावधान था जिसमें पहली बार अग्रिम के रूप में रू0 3.00 लाख एवं दूसरी बार अग्रिम के रूप में रू0 2.00 लाख स्वीकृत किया जाता था। वर्तमान में बाजार में उपलब्ध मोटर कार की कीमतों में अभिवृद्धि के कारण उक्त अग्रिम के अधीन मोटर कार खरीदना संभव नहीं हो रहा था। संबंधित कर्मियों को अग्रिम की राशि के अलावा स्वयं के द्वारा अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करनी पड़ती थी।

राज्य के कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण एवं वाहन की कीमतों में वृद्धि के आलोक में मोटर कार अग्रिम की राशि की अभिवृद्धि का मामला सरकार के स्तर पर विचाराधीन था ।

सम्यक विचारोपरांत मोटर कार अग्रिम की राशि की अभिवृद्धि के मद्देनज़र राज्य सरकार ने अपने कर्मियों को स्वीकृत किये जाने वाले मोटर कार अग्रिम संबंधी पूर्व के संकल्प सं0 1276, दिनांक 23 फरवरी, 1998 एवं 6075, दिनांक 21 नवम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों में संशोधन/अभिवृद्धि करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत राज्य के कर्मियों को मोटर कार अग्रिम निम्नरूपेण स्वीकृत की जायेगी -

1. राज्य सरकार के समूह ''क'' एवं ''ख'' के सभी कर्मियों को मोटर कार अग्रिम स्वीकृत की जायेगी ।

2. प्रथम मोटर कार अग्रिम की अधिकतम अनुमान्य राशि मोटर कार की कीमत अथवा रू0 10.00 लाख, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी ।

3. द्वितीय मोटर कार अग्रिम की अधिकतम अनुमान्य राशि मोटर कार की कीमत अथवा रू0 5.00 लाख, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी । द्वितीय अग्रिम की स्वीकृति प्रथम अग्रिम के मूल एवं सूद की वसूली समाप्त होने के पश्चात् ही अनुमान्य होगी ।

4. मोटर कार अग्रिम की वसूली अधिकतम 120 मासिक किस्तों में की जाएगी ।

5. कर्मियों को स्वीकृत मोटर कार अग्रिम की राशि का भुगतान संबंधित कर्मियों को नहीं कर, जिस स्थानीय प्रतिष्ठान/एजेंसी के माध्यम से खरीदना चाहते है और उसका कोटेशन दिया है, से संबंधित प्रतिष्ठान/एजेंसी को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा ।

6. वैसे कर्मियों को यह राशि स्वीकृत नही की जाएगी जिनकी सेवा अवधि तीन या तीन वर्षों से कम होगी।

7. प्रशासी/नियंत्रण पदाधिकारी इस बात की निगरानी रखेंगे कि मोटर कार अग्रिम की निकासी के एक माह के अन्दर संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार का क्रय कर लिया जाय । इसके लिये वे सम्बद्ध पदाधिकारी से लिखित सूचना प्राप्त करेंगे एवं गाड़ी की पंजीयन संख्या सहित इसकी सूचना आवश्यक रूप से वित्त विभाग को अग्रसारित करेंगे ताकि अग्रिम का दुरूपयोग ना हो । नियंत्रण के लिये कोषागार पदाधिकारी, बिना नियंत्रण पदाधिकारी के विपत्र पर हस्ताक्षर के, विपत्र पारित नहीं करेंगें ।

8. नियंत्रण पदाधिकारी का यह भी दायित्व रहेगा कि जो पदाधिकारी अग्रिम की निकासी के एक माह मे अन्दर गाड़ी का क्रय तथा पंजीयन संख्या की सूचना नहीं देंगे तो उनके विरूद्ध नोटिस जारी कर अग्रिम की राशि सूद सहित कोषागार में जमा करा देंगे तथा उस पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे ।

9. इन अग्रिमों पर 11.5 प्रतिशत ब्याज देय होगा ।

10. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1087/वि0अ0, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 के क्रम में दिनांक 30 सितम्बर, 2014 की बैठक के मद सं0 30 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजबाला वर्मा,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 514–50 ।